रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940
No. 124] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 140(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (वैज्ञानिक समूह-'क' पद), भर्ती नियम, 1984, को जहाँ तक उनका संबंध वैज्ञानिक 'बी' को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में वैज्ञानिक 'बी' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, वैज्ञानिक 'बी', (समूह 'क') पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तरः- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं, आदिः- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताः- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधे भर्ती होने वाले के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के माध्यम से नियुक्ति किए जाने वाले के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वैज्ञानिक-'बी'	65* (2019) * कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 10 (रू. 56100 177500/-).	चयन	35 वर्ष से अनधिक टिप्पण-1:- (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के	आवश्यक :- (i) किसी एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणीविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री; और (ii) केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या स्वशासित निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अन्य शिक्षा संस्थान से प्राणीविज्ञान के क्षेत्र में शोध और तकनीक का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थान से प्राणिविज्ञान में डॉक्टोरेट। टिप्पण -1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

					अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई अंतिम तारीख)।	टिप्पण-2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

क्या सीधे भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं प्रोन्नति पाने वालों के मामलों में भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु-सीमा: लागू नहीं होता शैक्षणिक अहर्ताएं: लागू होता है।	सीधी भर्ती हुए व्यक्ति के लिए एक वर्ष एवं प्रोन्नत हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष।	(क) 66.67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और ख) 33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है)द्वारा ।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में ऐसे विभागीय सहायक प्राणीविज्ञानी जिन्होंने उस पद में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है । टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम ना हो और उन्होंने अगले उच्चतर स्तर में प्रोन्नति हेतू उनके कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष; (ख) संयुक्त सचिव, प्रभारी भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय–सदस्य; (ग) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

			प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या कानूनी या स्वशासी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद को धारण किए हुए है; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 या समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहर्ताएं तथा अनुभव रखते हों। टिप्पण-1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण-2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3:- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	निम्नलिखित होंगे:- (क) संयुक्त सचिव, प्रभारी भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय- अध्यक्ष; (ख) निदेशक या उप सचिव, संरक्षण एवं सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय– सदस्य; (ग) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता– सदस्य।	

[फा. सं. 02/07/2012-सीएसजेड]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव (संरक्षण एवं सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2019

G.S.R. 140(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Scientific Group-A posts) Recruitment Rules, 1984, in so far it relates to the post of Scientist-B, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientist 'B' in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Scientist 'B', Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix .- The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
or
(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Scientist-'B'	65* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500/-)	Selection	Not exceeding 35 years Note.1- (relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,

					Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and and Nicobar Islands or Lakshwadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: - (i) Master's degree in Zoology from a recognised University; and (ii) Three years' experience in research and technique in the field of Zoology from the Central or State or Union territory Government/ Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institutes. Desirable: - Doctorate degree in Zoology from a recognised University or Institute. Note 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2:- The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age: No Educational Qualification: Yes.	(i) One year for direct recruits; and (ii) two years for promotees.	(i) 66.67% by direct Recruitment; and (ii)33.33% by promotion failing which by deputation (Including Short Term Contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption levels in pay matrix from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Zoologist in the level 7 of the pay matrix with 3 years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis.	Departmental Promotion Committee, for considering Promotion, consisting of: (i) Chairman or Member of the Union Public	Consultation with Union Public Service Commission

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualification/eligibility service. Deputation (Including Short Term Contract (ISTC)): 1. Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Statutory or Autonomous Organizations or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institutes; (A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (II) with at least three years' regular service in the level 7 of the pay matrix or equivalent; and (B) possessing the educational qualifications as prescribed for Direct Recruitment under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Service Commission – Chairman; (ii) Joint Secretary, in Charge of Zoological Survey of India in Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; (iii) Director, Zoological Survey of India Kolkata - Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (i) Joint Secretary, in Charge of Zoological Survey of India in Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Chairman; (ii) Director or Deputy Secretary, Conservation and Survey Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change-Member ; (iii)Director, Zoological Survey of India Kolkata – Member.	is necessary on each occasion.

[F. No. 02/07/2012-CSZ]

MANJU PANDEY, Jt. Secy. (Conservation and Survey-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.22 19:46:54 +05'30'